जुर्माना

अब्दे मुस्तफ़ा

मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादरी रज़वी

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION



अब्दे मुस्तफ़ा
मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादरी रज़वी

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

जुर्माना

अज़ क़लम : अब्दे मुस्तफ़ा, मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादरी रज़वी
ज़ुबान : हिंदी
मौज़ूअ : फ़िक़्ह, तहक़ीक़
हिंदी : अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल ट्रांस्लेशन डिपार्टमेंट
प्रूफ रीडिंग : मुहम्मद रियाज़ क़ादरी
प्रकाशक : साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन
कंपोज़िंग एंड
डिज़ाइनिंग : प्योर सुन्नी ग्राफिक्स
सना इशाअ़त : मई 2022, शव्वाल 1443 हिजरी
सफ़हात : 15

Sabiya Virtual Publication
Powered by Abde Mustafa Official
Contact +919102520764 (WhatsApp) | Email:abdemustafa78692@gmail.com

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

जुर्माना यानी किसी के किसी अमल के इवज़ बतौरे सज़ा उस से माल लेना ये माली जुर्माना कहलाता है जो कि नाजाइज़ व हराम है।
अंग्रेजी में इसके लिये फ़ाइन या पेनल्टी वग़ैरह अल्फ़ाज़ इस्तिमाल किये जाते हैं।

इस मुख़्तसर से रिसाले में हमने इस मस'अले पर उलमा -ए- अहले सुन्नत के फ़तावा को जमा किया है ताकि बा-आसानी इस मस'अले की तफ़्सील एक जगह देखी जा सके।

मस्जिद में जुर्माना

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अजमल क़ादरी रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया कि जुर्माना जो इस्लाहे क़ौम के लिये हो यानी ऐसे फ़ेल जो शर'अन नाजाइज़ हैं उनको रोकने पर जुर्माना किया जाए और क़ौम को डराने के लिये और उस रूपया को किसी मदरसा में जो क़ौम के नाम से मौसूम हो लगाया जाए जैसे उस वक़्त जो क़ौमी पंचायत क़ाइम की गई और लोगों को इंसाफ और ग़लत रस्मों से बचने के लिये जुर्माने मुक़र्रर किये हैं जाइज़ है या नाजाइज़? कुतुबे मोतबरा के हवाले से जवाब से मुत्तला फ़रमाया जावे।

आप रहीमहुल्लाहु त'आला जवाब में लिखते हैं कि किसी को माल ले कर सज़ा देना जिस का नाम अवाम ने जुर्माना रख लिया है, ये शर'अन नाजाइज़ व हराम है।

रद्दुल मुहतार में है :

ان المذهب عدم التعزير بأخذ	लिहाज़ा जिन अक़वाम में सज़ा
المال فلا يجوز لاحد من	माली जुर्माने से की जाती है वो

المسلمين اخذ مال احد بغير سبب اقول: و عدم جوازه لما فيه من تسليط الظلمة على اخذ مال الناس فياكلونه

नाजाइज़ है और वो माल ख़बीस है और माले ख़बीस मस्जिद व मदरसा में सर्फ़ नहीं किया जा सकता, इस जुर्माने का मदरसा में सर्फ़ करना भी जाइज़ नहीं।

(फ़तावा अजमलिया, 4/134)

आपसे एक और सवाल किया गया जिस में एक पंचायत का ज़िक्र था जिसने एक शख्स पर माली जुर्माना आइद किया था तो आप रहीमहुल्लाहु त'आला ने जवाब में इरशाद फरमाया सज़ा में रुपया का जुर्माना मुक़र्रर करना नाजाइज़ है।
(फ़तावा अजमलिया, 4/33)

फ़तावा बरेली शरीफ

फ़तावा बरेली शरीफ में है कि आला हज़रत, मुजद्दिदे बरेलवी, फ़ाज़िले बरेलवी रदिअल्लाहु त'आला अन्हु फ़तावा रज़विय्या, 2/198 में फरमाते हैं कि जो उमूर तादीबी तौर पर मज़कूर हुए सब जाइज़ हैं मगर माली जुर्माना लेना हराम।
(फ़तावा बरेली शरीफ, 78)

बहरुल उलूम का फ़तवा

बहरुल उलूम, हज़रते अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया कि फैसल जुर्माने की रक़म अपने मसरफ में ला सकता है या नहीं?

आप रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि जुर्माना में पैसा वसूल करना नाजाइज़ है, दुर्रे मुख्तार में है :

لا یاخذ المال فی المذہب

(फ़तावा बहरुल उलूम, 2/420)

जुर्माना मन्सूख़ हो गया

इब्तिदा -ए- इस्लाम में मुजरिम से जुर्माना लेना जाइज़ था बाद में ये इजाज़त मन्सूख़ हो गयी और मन्सूख़ पर अमल करना नाजाइज़ व गुनाह है चुनाँचे इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया कि बकर ने एक आलिम के फ़रमाने से मुसलमानों के रूबरू ये तजवीज़ पेश की कि जो शख़्स नमाज़ ना पढ़े उसको हुक़्क़ा पानी ना दिया जाये और जितने वक़्त की नमाज़ ना पढ़े, एक पैसा जुर्माना होना चाहिये, ज़ैद ने इस का ये जवाब दिया कि इस तौर की नमाज़ पढ़वानी ज़ीना दोज़ख़ का है, इस बारे में हुक्मे शरीअत क्या है?

आला हज़रत इरशाद फ़रमाते हैं कि हुक़्क़ा पानी ना देने की तजवीज़ ठीक है और माली जुर्माना जाइज़ नहीं।

لانه شیء کان و نسخ کما بینه الامام ابو جعفر الطحاوی رحمه الله تعالی

क्योंकि ये चीज़ पहले थी लेकिन बाद में मन्सूख़ हो गयी थी जैसा कि इमाम अबू जाफ़र तहावी, रहीमहुल्लाहु त'आला ने बयान किया।

(दुर्रे मुख्तार, बाबुत ताज़ीर, 1/326)

(फ़तावा रज़विय्या, 5/111)

इमाम शाफ़ई के नज़दीक जाइज़

(आला हज़रत मज़ीद लिखते हैं कि) ज़ैद का वो कलिमा (कि इस तौर की नमाज़ पढ़वानी ज़ीना दोज़ख़ का है, ये) बहुत बुरा और सख्त बेजा है

फان المصادرة المالية تجوز عند الامام الشافعی رضی الله تعالی عنه

क्योंकि माली जुर्माना इमाम शाफ़ई रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के नज़दीक जाइज़ है।

नमाज़ पढ़वाना ज़ीना -ए- दोज़ख़ नहीं बल्कि ना पढ़ना, ज़ैद तौबा करे।

واللہ تعالی اعلم

(फ़तावा रज़विय्या, 5/111)

नमाज़ छोड़ने पर जुर्माना

आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला से एक और सवाल किया गया कि एक मुसलमानों के मदरसे में जहाँ अंग्रेज़ी तालीम होती है, पंजगाना नमाज़ की सख्त ताकीद है, मस्जिद में बाद हर नमाज़ के हर तालिबे इल्म की हाजिरी एक रजिस्टर में दर्ज होती है और जो ग़ैर हाज़िर पाये जाते हैं उन पर जुर्माना होता है, इस तशरीह के साथ कि फ़ज्र, ज़ुहर, असर और इशा की ग़ैर हाज़िरी में फ़ी नमाज़ दो पैसे लिये जाते हैं.... ये तरीक़ा शरीअत के हिसाब से कैसा है?

आप रहीमहुल्लाहु त'आला फ़रमाते हैं कि ताज़ीर बिल माल मन्सूख़ है और मन्सूख़ पर अमल जाइज़ नहीं, दुर्रे मुख़्तार में है :

لا باخذ مال فی المذهب

माल लेने का जुर्माना मज़हब की रू से जाइज़ नहीं।
(दुर्रे मुख़्तार, 1/326)

उसी में है :

و فی المجتبی انه کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ

और मुज्तबा में है कि इब्तिदा - ए- इस्लाम में था फिर मन्सूख़ कर दिया गया।

रद्दुल मुहतार में है :

و افاد فی البزارية، ان معنی التعزير باخذ المال علی القول به امساک شیء من ماله عنده مدة لينزجم ثم يعيده الحاکم اليه لا ان ياخذه الحاکم لنفسه او لبيت المال کما يتو همه الظلمة اذ لا يجوز لا حد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعی

और बज़ारिया में ये इफ़ादा किया है कि माली ताज़ीर का क़ौल अगर इख़्तियार किया भी जाये तो उस का सिर्फ़ इतना ही मतलब है कि उसका माल कुछ मुद्दत के लिये रोक लेना ताकि वो बाज़ आ जाये, उस के बाद हाकिम का माल लौटा दें, ना ये कि हाकिम अपने लिये ले ले या बैतुल माल के लिये, जैसा कि ज़ालिम लोग समझते हैं, क्योंकि शरई सबब के बग़ैर किसी का माल लेना मुसलमान के लिये रवा नहीं।
(रद्दुल मुहतार)

(फ़तावा रज़विय्या, 5/112,113)

मुफ्ती खलील खान बरकाती का फ़तवा

अल्लामा मुफ्ती खलील खान बरकाती जुर्माने के बारे में लिखते हैं कि जुर्माना नहीं लिया जा सकता कि शरीअत में जुर्माना जाइज़ नहीं।
(फ़तावा ख़लीलिया, 3/193)

रोज़े ना रखने पर जुर्माना

मुफ़्ती गुलाम रसूल नक़्शबंदी से सवाल किया गया कि एक गाँव के लोगों ने आपस में फैसला किया कि जो आदमी माहे रमज़ान में रोज़े नहीं रखेगा उसको जुर्माना किया जाएगा, अब एक आदमी ने रोज़ा ना रखा और उससे जुर्माना का मुतालिबा किया गया तो उसने जवाब दिया कि मै जुर्माना नहीं दूँगा क्योंकि शरीअत जुर्माना नहीं करती, अब दर्याफ्त तलब अमर ये है कि शरअ में जुर्माना करना जाइज़ है या नहीं?

आप जवाब में लिखते हैं कि माहे रमज़ान के रोज़े इस्लाम में बुनियादी हैसियत रखते हैं, हर मुसलमान आकिल बालिग़ पर फ़र्ज़ हैं और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो माहे रमज़ान के रोज़े रखे और माहे रमज़ान का एहतिराम भी करे लेकिन माली जुर्माना करना शरअन जाइज़ नहीं है।

फ़तावा रज़विय्या में है :

لانه شیء کان و نسخ کما بینه
الامام البوجعفر الطحاوی
رحمه الله تعالی

कि इमाम अबु जाफर तहावी फ़रमाते हैं कि जुर्माना मन्सूख हो चुका है और मन्सूख क़ाबिले अमल नहीं होता, लिहाज़ा किसी

को जुर्माना माली करना जाइज़
नहीं है।

(फ़तावा जमातिया, 375)

जुर्माने का पैसा मस्जिद मदरसे में लगाना

अल्लामा मुफ़्ती शहरोज़ आलम अकरमी जुर्माने के मुतालिक़ लिखते हैं कि ताज़ीर बिल माल (माली जुर्माना) जाइज़ नहीं, फ़तावा शामी में है :

وتحرم التعزير بالمال

तनवीरुल अबसार में है :

ولا یوخذ مال فی المذهب

फ़तावा आलमगीरी में है :

التعزير باخذ المال لا يجوز كذا فی فتح القدير

ये माल वापस करना ज़रूरी है, ये रक़म मस्जिद, मदरसा या क़ब्रिस्तान में लगाना जाइज़ नहीं

(फ़तावा बहरुल उलूम, 4/467)

अल्बता अगर देने वाले इजाज़त दे दें तो लगाना जाइज़ होगा। (एज़न, 460)

(फ़तावा अकरमी, 255)

मुफ़्ती -ए- आज़मे राजस्थान का फ़तवा

मुफ़्ती -ए- आज़मे राजस्थान, अल्लामा मुफ़्ती अशफ़ाक हुसैन नईमी रहीमहुल्लाहु त'आला जुर्माने के बारे में लिखते हैं कि जुर्माना लेना शरअन जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा मुफ़्ती -ए- आज़म राजस्थान, 401)

जुर्माने की इजाज़त

जैसा कि हमने बयान किया कि इब्तिदा -ए- इस्लाम में मुजरिम से जुर्माना लेना जाइज़ था बाद में ये इजाज़त मन्सूख़ हो गयी और मन्सूख़ पर अमल करना नाजाइज़ व गुनाह है लेकिन हज़रते सय्यिदी मुफ़्ती -ए- आज़मे हिन्द अलैहिर्रहमा ने लोगों में बे पनाह जुर्रत व बेबाकी बढ़ जाने की वजह से बाज़ सूरतों में मुजरिम से जुर्माना लेने की इजाज़त दी है जैसा कि आपके जारी करदा दर्जे ज़ेल फतवे से बखूबी अयाँ है।

ताज़ीर बिल माल नाजाइज़ है, जुर्माना करना ना चाहिये मगर फ़तावा खुलासा में फ़रमाया :

سمعت من ثقة ان التعزير باخذ المال ان رای القاضی او الوالی جازو من جملة ذلک رجل لا یحضر الجماعة یجوز تعزیرہ باخذ المال

फ़तावा खुलासा के इस इरशाद से ऐसे शख्स पर जुर्माने की इजाज़त वाली व क़ाज़ी के लिये मालूम हुई, अगर वो इस में मसलिहत पाएं जो जमाअत में हाज़िर नहीं होता तो जो नमाज़ ही नहीं पढ़ते उन पर बदर्जा -ए- ऊला मगर ये इस तरह होगा कि उसकी इस्लाह हो जाए तो बादे इस्लाह वापस कर दें और अगर वापस कर देने से फिर उस शख्स की वही हालत

हो जाने का सहीह अंदाज़ा हो तो
किसी नेक काम में उसकी तरफ
से लगा दें।

यहाँ क़ाज़ी कहाँ, यहाँ अहले इल्म उलमा -ए- बलद सुन्नी सहीहुल अक़ीदा ग़ैरे फ़ासिक़ क़ाइम मक़ाम वाली हैं, उसकी इजाज़त से ये ताज़ीर की जा सकती है।

जिसकी इस्लाह हो जाए और वापस करने पर फिर उस के बिगड़ जाने का अंदेशा ना हो तो बादे इस्लाह उसे उसकी रक़म वापस दे दी जाए और जिसके बिगड़ने और ताज़ीर की हैबत ही जाने का अंदेशा हो, उसकी रक़म किसी नेक काम में खर्च कर दी जाये तो अच्छा है और अगर वो इजाज़त ना दे तो भी उसकी तरफ से किसी नेक काम में लगा दी जाए कि उसे सवाब पहुँचे।
(मुकदमा फ़तावा मुफ़्ती -ए- आज़मे हिन्द, 252)

फ़क़ीहे मिल्लत का फ़तवा

फ़क़ीहे मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह त'आला अलैह लिखते हैं कि जुर्माने की रक़म से शामियाना वग़ैरह बनवाना या मस्जिद की ज़रूरियात में इसे सर्फ करना जाइज़ नहीं बल्कि साहिबे हद्द तौबा करने के बाद तौबा पर क़ाइम रहे तो उसकी रक़म उसे वापस दे दी जाये। ऐसा ही बहरूर राइक, जिल्द पंजुम, सफ़हा 41 पर है
(फ़तावा फैज़ुर्रसूल, 2/489)

जुर्माने के ताल्लुक़ से ये हमने कुछ उलमा -ए अहले सुन्नत के कलिमात को बयान किया, कारिईन से दुआओं की गुज़ारिश करते हैं।

अल्लाह तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में क़ुबूल फरमाये और ज़रिया -ए- नजात बनाये।

हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल :

(1-13) बहारे तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(14) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा?
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(15) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(16) इश्के मजाज़ी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ)
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(17) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(18) शबे मेराज गौसे पाक - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(19) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(20) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(21) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(22) ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(23) चंद वाकियाते कर्बला का तहकी़की़ जाइज़ा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(24) बिंते हव्वा - कनीज़े अख़्तर
(25) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब)
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(26) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकी़क़
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(27) औरत का जनाज़ा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा
(28) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की ज़ुबानी
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(29) 40 अहादीसे शफा'अत

- अ़ाला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह

(30) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से

(31) क़ियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा?

- अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(32) ज़न और यक़ीन

- अ़ाला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह

(33) ज़मीन साकिन है

- अ़ाला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह

(34) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुह़म्मद अहमद मिस्बाही

(35) इस्लामी तअ़लीम (हिस़्सा अव्वल)

- अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी रहमतुल्लाह अलैह

(36) इस्लामी तअ़लीम (दूसरा हिस़्सा)

- अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी रहमतुल्लाह अलैह

(37) रिवायतों की तहकी़क़ (पहला हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(38) रिवायतों की तहकी़क़ (दूसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(39) एक निकाह ऐसा भी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(40) ब्रेकअप के बाद क्या करें? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

(41) सफ़ीना -ए- बख़्शिश - हुज़ूर ताजुश्शरीअ़ा, हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद अख़्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह

(42) मैं खान तू अंसारी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ABOUT US

Abde Mustafa Official is a team from
Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014
on the Aim to propagate **Quraan and Sunnah**
through electronic and print media.

We are :

Blogging, publishing pamphlets and books on various topics, running a special matrimonial service for **Sunni Muslims.**

Visit our official website :

www.abdemustafa.in

about thousands of articles & 190+ pamphlets and books are available in multiple languages.

E Nikah Matrimony

if you are searching a Sunni life partner
then E Nikah is a right platform for you.

Visit www.enikah.in

OR Join our Telegram Channel
t.me/Enikah (Search "E Nikah Service" in Telegram)

Follow us on Social Media Network :

/abdemustafaofficial

for more details WhatsApp on **+919102520764**

OUR BRANDS :

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION
enikah E NIKAH MATRIMONY SERVICE
BOOKS ROMAN BOOKS
NIKAH AGAIN SERVICE

AMO
powered by Abde Mustafa Official